
कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल २<u>८</u>६ काण के गार डा० मण आग्र हेर सम । निष् THIS WP 2 19 12016 TO May denter of Traman Anny 5gey, Frylas EL11818181 क्षिणिया 3.316 शाकेमुभी-225-आउशिभो-3-8-15-50,000.



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at **GWALIOR** Process Id: 4818/2016 WP/919/2016

From

Deputy Registrar, High Court of MP Bench at Gwalior

FOR ADMISSION Fixed for 14-03-2016

DA- 06

Respondent No. 2

RAD

To,

The Commissioner, Department of Hgiher Education, Satpura Bhawan, Arera Hills, Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 11-02-2016

Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 919/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Dr.manju Bhargava has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/919/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 14-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition

SECTION OFFICER

Your faithfully

Section Officer High Court Of Madhya Pradesh Bench Gwalior

VALIOR

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विमाग मंत्रालय

ФНІВ 426 286/ DILY 116 2MIM, PARG 4-3-16 सिविल प्रकिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-- 1 तथा -1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिकित अरिशालक उन्ज शिक्षा

आधिक अवयव्यक्षामा <u>भू वातिका कमांक</u> भिर्म यात्र १६ (पक्षकारों के नाम) डां. भोज आधीत हव अस्या विकारड

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर से प्रमारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिवत वह अपनी नियुदित तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरें नीचे दिये गये हैं. निम्नलिखित कार्य करेगा:-

प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की, आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मानले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिनाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपीर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

- समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- शासकीय अधिवंक्ता की भेसहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएगा ।
- महत्वपूर्ण / नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये, लिखित / कथन या उत्तर विभागीय / प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगाः-

वाद / पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका ।

प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप । 2/

उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया जाना है ।

मामले विश्वीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा ।

लब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता हैं। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाडी करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।

9/ यह देखना कि आवेदन करने. प्रमाणित प्रतिथाँ प्राप्त करनें ,रिपोर्ट दनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों । '

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता हैं, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यन से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मद्द /सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे ।

12: / महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया है ऐसे मामलों में पाननीय मुख्य सचिव, का नाम बिलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीयातिशीघ आवेदन दायर कर विलोपित करवायें ।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के न म से तथा आदेशानुसार

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विमाग भागी मंत्रालय, भोपाल भोपाल, दिनांक 4-3-16

पृ०क्त 77 / अप्रिया मंत्रालय न्याप्र प्रितिलिपि:-

1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर/इन्दौर/खालियर संभाग म.प्र. की ओर । 2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायों कार्य विभाग विध्याचल भवन भोपाल

3/ संबंधित जिलाध्यक्ष अभिन्न कि स्वास्त्र करने और अप्रीयत । साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और अधिवक्ता से आप करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आप की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलें में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस सुनवाई हेतु नियत की गई थीं / हैं ।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संघालक . उच्च शिक्षा ... की ओर सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु ।

> सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिला विमाग मंत्रालय, भोपाल

Masa 29/2/16